

न्यायालय— जिला न्यायाधीश, चित्रकूट
निष्पादन वाद सं०— 01 / 2017

दीपक अग्रवाल

बनाम

गुलाब सिंह आदि

04.03.2017

वाद पुकारा गया। आवेदक दीपक अग्रवाल एवं विपक्षी गुलाब सिंह पटेल की ओर से 13क1 प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करके कथन किया गया कि इजरा वाद में डिक्रीदार को वादग्रस्त दूकान का कब्जा दखल प्राप्त हो चुका है तथा वसूल की जाने वाली धनराशि में से 15000/—रुपये नकद प्राप्त कर लिया है तथा शेष धनराशि की वसूली से विपक्षी गुलाब सिंह को अवमुक्त करता है अतएव इजरा वाद पूर्ण संतुष्टि के साथ निरस्त किया जाये। प्रार्थनापत्र 13क1 स्वीकार किया जाता है तथा उभय पक्ष की पूर्ण संतुष्टि के आधार पर इजरा वाद तदनुसार निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

जिला न्यायाधीश,
चित्रकूट।
04.03.2017